

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल, 2019-चैत्र 15, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, जय वर्मा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का नाम जय प्रकाश वर्मा था और वर्तमान में मुझे जय वर्मा के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है और जय वर्मा के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ तथा जय प्रकाश वर्मा एवं जय वर्मा एक ही व्यक्ति के नाम है भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा बचपन का नाम जय प्रकाश वर्मा लिखा गया है जो कि गलत है. अतः मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम जय प्रकाश वर्मा के स्थान पर जय वर्मा लिखा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :

(जय प्रकाश वर्मा)

(1055-बी.)

नया नाम :

(जय वर्मा)

पता-सुभाष बाड़ा दाना ओली,
लशकर, ग्वालियर (474001).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं चाहत खटवानी पत्नि श्री संजय खटवानी, निवासी-2, हैलीपेड कॉलोनी, ग्वालियर शादी से पूर्व मेरा नाम रश्मि सोनेजा पुत्री श्री पीताम्बर सोनेजा था. शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती चाहत खटवानी हो गया है. अतः अब मुझे चाहत खटवानी के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(रश्मि सोनेजा)

पुत्री-श्री पीताम्बर सोनेजा.

(02-बी.)

नया नाम :

(चाहत खटवानी)

पत्नि-श्री संजय खटवानी.

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, विभा उर्फ वैजेन्ती ठाकुर पति श्री वीरेन्द्र सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त रेल्वे बोर्ड वार्ड, निवासी म. नं. 479, ब्यौहार बाग, जबलपुर की स्थायी निवासी हूँ. मेरा शादी के पूर्व बैजन्ती बाई नाम चलता था. शादी पश्चात् ससुराल में विभा मेरा नाम रखा गया था तथा मैं विभा के नाम से जानी-पहचानी जानी जाने लगी जिसके कारण शासकीय दस्तावेज में कहीं पर बैजन्ती

पति वीरेन्द्र सिंह लिखा हुआ है तथा मतदाता परिचय-पत्र एवं आधार कार्ड तथा पेनकार्ड में मेरा नाम विभा पति श्री वीरेन्द्र सिंह लिखा हुआ है। मैं, श्रीमती विभा उर्फ वैजन्ती ठाकुर पति वीरेन्द्र सिंह एक ही महिला हूँ तथा मुझे विभा उर्फ वैजन्ती पति श्री वीरेन्द्र सिंह के नाम से जाना-पहचाना जाये।

पुराना नाम :
(वैजन्ती बाई)
पति-श्री वीरेन्द्र सिंह.
(01-बी.)

नया नाम :
(विभा उर्फ वैजन्ती)
पति-श्री वीरेन्द्र सिंह ठाकुर.

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपा गंगेले, जिला मलेरिया अधिकारी, जिला अशोकनगर (म.प्र.) को अभी तक दीपा पिता रमेश प्रसाद गंगेले के नाम से जाना जाता है। मेरा विवाह श्री क्षितिज पाठक के साथ हो गया है। इसलिए मुझे दीपा गंगेले के स्थान पर मेरे पति के सरनेम से जोड़ते हुए दीपा पाठक के नाम से जाना जाये।

पुराना नाम :
(दीपा गंगेले)
(03-बी.)

नया नाम :
(दीपा पाठक)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम (LIC) की पॉलिसी क्रमांक 200675555 में साहिल जायसवाल अंकित हो गया है। जबकि सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम देवराज सिंह जायसवाल (DEVRAJ SINGH JAISWAL) अंकित है। कृपया मेरा नाम देवराज सिंह जायसवाल सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में जाना एवं पहचाना जाये एवं उपयोग किया जाये एवं सही नाम देवराज सिंह जायसवाल (LIC) की पॉलिसी में भी किया जावे।

पुराना नाम :
(साहिल जायसवाल)
(04-बी.)

नया नाम :
(देवराज सिंह जायसवाल)
पुत्र-श्री विशाल जायसवाल,
पता-गनेश एम्पोरियम, जैन मंदिर,
संतर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, पूरन लाल (POORAN LAL) सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ मेरा नाम पूरन लाल (POORAN LAL) है जो मेरे शासकीय प्रपत्रों जैसे-आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक इत्यादि में अंकित है जबकि मेरी बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक एवं मेरे पैन कार्ड में मेरा नाम पुरन लाल (PURAN LAL) अंकित हो गया है एवं मैं वर्तमान पूरन लाल (POORAN LAL) पुत्र श्री पतराम के नाम से ही जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं इसी नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा। अतः मेरे बी. एस. एन. एल. विभाग के सर्विस बुक एवं पैन कार्ड इत्यादि में मेरा सही नाम पूरन लाल (POORAN LAL) पुत्र श्री पतराम लिखा व पढ़ा जाये। सर्वजन एवं आमजन सूचित हो।

पुराना नाम :
(पुरन लाल)
(PURAN LAL)
(05-बी.)

नया नाम :
(पूरन लाल)
(POORAN LAL)
निवासी-लक्ष्मी कॉलोनी, डबरा,
जिला-ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, आशीष तिवारी पिता श्री एस. के. तिवारी, उम्र 42 वर्ष, निवासी रानी दुर्गावती वार्ड मण्डला, थाना व तहसील, जिला मण्डला शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा पुत्र गौरव तिवारी जो केन्द्रीय विद्यालय मण्डला में कक्षा तीसरी का छात्र है। मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में शुभाशीष तिवारी दर्ज हो गया है, जो उसका वास्तविक नाम है। शाला में प्रवेश के समय उसका नाम गौरव तिवारी दर्ज करा दिया गया है, अब मैं अपने पुत्र का नाम शाला अभिलेख में गौरव तिवारी की जगह शुभाशीष तिवारी दर्ज कराना चाहता हूँ इस वास्ते शपथ-पत्र प्रस्तुत है। अब से समस्त दस्तावेजों में शुभाशीष तिवारी दर्ज किया जावे।

(06-बी.)

आशीष तिवारी,
रानी दुर्गावती वार्ड, मण्डला.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुनीता सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ की मेरा नाम श्रीमती सुनीता पत्नी ध्रुव सिंह यादव है और मैं वर्तमान में भी इसी नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ जबकि भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम श्रीमती अनीता यादव लिखा गया है। जो कि गलत एवं असत्य है। अतः मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम श्रीमती अनीता यादव के स्थान पर श्रीमती सुनीता पत्नी श्री ध्रुव सिंह यादव लिखा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :
(अनीता यादव)

(07-बी.)

नया नाम :
(सुनीता यादव)
पता-14 बटालियन फेमिली लाइन, कम्पू,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पुत्र की बीमा पॉलिसी में उसका नाम छोटू साहू पुत्र श्री संजीव साहू अंकित है जोकि उसका घर का नाम है जबकि मेरे पुत्र की कक्षा 8वीं की अंकसूची, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में नाम शौमिक साहू पुत्र श्री संजीव साहू अंकित है छोटू साहू पुत्र संजीव साहू व शौमिक साहू पुत्र श्री संजीव साहू दोनों ही नाम मेरे पुत्र के हैं जोकि सत्य व सही है। भविष्य में मेरे पुत्र को शौमिक साहू पुत्र श्री संजीव साहू के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जायेगा।

(08-बी.)

संजीव साहू,
निवासी-73, बजरंग वस्ती गोल पहाड़िया,
ए. बी. रोड, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मैं, धनराज झारिया आत्मज श्री प्रभुदयाल झारिया, निवासी म. नं. 418-बी, न्यू अशोका गार्डन, भोपाल मध्यप्रदेश। मेरे पुत्र विकास झारिया जो कि केन्द्रीय विद्यालय क्र. 3 में अध्ययनरत है का उपनाम त्रुटिवश झारिया के स्थान पर झाड़े अंकित हो गया है। मेरे पुत्र का सही उपनाम झारिया है। अतः मेरे पुत्र को विकास झारिया के नाम से ही जाना व पहचाना जावे व उसके जिस भी दस्तावेज में उसका नाम विकास झाड़े लिखा हुआ है, उन सभी जगह उसका सही नाम विकास झारिया ही लिखा व पढ़ा जावे।

(09-बी.)

धनराज झारिया,
418-बी, न्यू अशोका गार्डन,
भोपाल (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-सामान्य को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रामेश्वर सोनी था। जिसे बदलकर रामेश्वर महेश्वरी कर दिया गया है। मुझे इसी नाम से जाना जाये।

पुराना नाम :
(रामेश्वर सोनी)

(10-बी.)

नया नाम :
(रामेश्वर महेश्वरी)
वार्ड नं. 16, गुजरी चौक, बालाघाट.

नाम परिवर्तन

सर्व-सामान्य को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विशाल बिसेन था। जिसे बदलकर अजय विशाल बिसेन कर दिया गया है। मुझे इसी नाम से जाना जाये।

पुराना नाम :
(विशाल बिसेन)

(11-बी.)

नया नाम :
(अजय विशाल बिसेन)
वार्ड नं. 04, गरी, बालाघाट.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-सामान्य को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम गीता सोनी था। जिसे बदलकर गीता महेश्वरी कर दिया गया है। मुझे इसी नाम से जाना जाये।

पुराना नाम :
(गीता सोनी)

(12-बी.)

नया नाम :
(गीता महेश्वरी)
वार्ड नं. 16, गुजरी चौक, बालाघाट.

नाम परिवर्तन

मैं, संजय कुमार साधवानी पुत्र श्री दयाराम साधवानी सर्व-साधारण को सूचित किया करता हूँ कि मेरे जन्म दाता पिता का नाम श्री कीमत राय साधवानी है। जबकि मेरी शिक्षा एवं भरण पोषण दत्तकग्राही (Adopted) पिता श्री दयाराम साधवानी के द्वारा की जा रही थी और वर्तमान में दत्तकग्राही (Adopted) पिता श्री दयाराम साधवानी के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ तथा भविष्य में भी मैं, दत्तकग्राही (Adopted) पिता स्व. श्री दयाराम साधवानी के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा। अतः मेरे पेनकार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में मेरे पिता के नाम श्री कीमत राय साधवानी के स्थान पर दत्तकग्राही (Adopted) पिता स्व. श्री दयाराम साधवानी अंकित किया जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(संजय कुमार साधवानी)
पुत्र श्री कीमत राय साधवानी.

(13-बी.)

नया नाम :

(संजय कुमार साधवानी)
स्व. श्री दयाराम साधवानी,
पता-शांतीनगर 67, हेमू कॉलोनी बोर्ड,
कटनी (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, राजेश रजक सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा बचपन का नाम राजू रजक था और मैं वर्तमान में राजेश रजक के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ राजेश रजक एवं राजू रजक एक ही व्यक्ति के नाम जबकि भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा बचपन का नाम राजू रजक लिखा गया है। जो कि गलत एवं असत्य है। अतः मेरी बीमा पॉलिसियों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरे बचपन का नाम राजू रजक के स्थान पर राजेश रजक लिखा एवं पढ़ा जाये एवं आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(राजू रजक)

(14-बी.)

नया नाम :

(राजेश रजक)
पता-इकारा-इकरा, दितया,
जिला दतिया (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मंगलिया जाटव सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मैं वर्तमान में मंगलिया जाटव के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जबकि मेरे पुत्र सोवरन जाटव की बीमा पॉलिसियों क्र. 201221586 एवं 203032420 में मेरा नाम मंगल सिंह लिखा गया है जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम मंगलिया जाटव लिखा गया है। मंगलिया जाटव एवं मंगल सिंह एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः मेरे पुत्र सोवरन जाटव की बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम मंगल सिंह के स्थान पर मंगलिया जाटव लिखा जावे। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(मंगल सिंह)

(15-बी.)

नया नाम :

(मंगलिया जाटव)
ग्राम-समाया, तहसील भितरवार,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, रामू सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम रामू पुत्र श्री इन्द्र सिंह है और मैं वर्तमान में भी इसी नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जबकि भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम रामेन्द्र सिंह परिहार लिखा गया है। जो कि गलत एवं असत्य है। अतः मेरी बीमा पॉलिसियों में मेरा नाम रामेन्द्र सिंह परिहार के स्थान पर रामू पुत्र श्री इन्द्रसिंह लिखा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(रामेन्द्र सिंह परिहार)

(16-बी.)

नया नाम :

(रामू)
पुत्र-श्री इन्द्रसिंह,
पता-ग्राम रहाबली उबारी, तहसील लहार,
जिला भिण्ड (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संदीप कुमार मेहरा आत्मज श्री रामसिंह मेहरा पूर्व में संदीप कुमार नाम से जाना-पहचाना जाता था। वर्तमान में मेरा नाम संदीप कुमार मेहरा हो गया है। अतः अब मुझे संदीप कुमार मेहरा नाम से जाना और पहचाना जाये।

पुराना नाम :

(संदीप कुमार)

(19-बी.)

नया नाम :

(संदीप कुमार मेहरा)
पता-म नं. 60, आस्था विहार,
फेस-2, अवधपुरी भोपाल (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

That Before Marriage I was known as Kavita Sorde D/o B. R. Sorde. After Marriage I, have changed My Name and henceforth, I Shall be known as Kavita Sahare W/o Shri Praveen Kumar Sahare, Resident of 190, Behind Sarvodaya School, East Ghamapur Kanch Ghar, Chowk Jabalpur M.P. 482001.

Old Name :

(KAVITA SORDE)

(20-B.)

New Name :

(KAVITA SAHARE)**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम वरुण पावरी पिता सेम पावरी है, किन्तु उसके स्कूल में उनका नाम वरुण सेम पावरी पिता सेम फिरोज पावरी लिखा हुआ है. स्कूल रिकॉर्ड के अलावा अन्य सभी दस्तावेजों में हमारा सही नाम ही लिखा हुआ है. अतः समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में उसे उसके सही नाम वरुण पावरी पुत्र सेम पावरी से ही लिखा एवं पढ़ा जावे.

रिचा पावरी,

पति श्री सेम पावरी,

165, कालिन्दी कुंज, पिपल्याहाना,

इन्दौर (म.प्र.).

(21-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम रेखा कुमारी पिता दीपचन्द्र था. जो मेरे समस्त पुराने दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, जिसे शादी के बाद बदलकर भाग्यश्री बजाज पति महेश कुमार बजाज कर लिया था. अब मेरे कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों में मेरे अलग-अलग (भाग्यश्री बजाज व रेखा कुमारी) नाम होने के कारण कई समस्याएं आ रही हैं, इसलिये अब मैंने अपना पुराना नाम रेखा कुमारी ही अपना लिया है, अब मेरे जिस भी दस्तावेज में मेरा नाम भाग्यश्री बजाज पति महेश कुमार बजाज लिखा है उन सभी दस्तावेजों में भी मेरा नाम रेखा कुमारी पति महेश कुमार बजाज ही लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(रेखा कुमारी उर्फ भाग्यश्री बजाज)

(22-बी.)

नया नाम :

(रेखा कुमारी)**(REKHA KUMARI)**

W/o Mahesh Kumar Bajaj,

18, पलसिकर कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

This is to inform that my earlier name was Durga Prasad Ahirwar (D. P. Ahirwar) which now has been changed to Durga Prasad Anand so, all now have to recognize me as Durga Prasad Anand (D. P. Anand).

Old Name :

(DURGA PRASAD AHIRWAR)

(23-B.)

New Name :

(DURGA PRASAD ANAND)

Address-R.H. 61, A/Slice No.-1,

Scheme No.78, Vijay Nagar, Indore-452010.

CHANGE OF NAME

I, Mamta Mehrotra have changed my name and will be known as Priya Viren Mehrotra (wife of Virendra Nath Mehrotra) from here onwards.

Old Name :

(MAMTA MEHROTRA)

(29-B.)

New Name :

(PRIYA VIREN MEHROTRA)

Address-68, Pragati Vihar Colony,

Bicholi Mardana, Indore-452016.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज, पता 13-A, रजनीगंधा एन्क्लेव, गोले का मंदिर, ग्वालियर, एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0324/15, सन 2014-2015 है. इस फर्म से दिनांक 18-06-2018

को एक भागीदार (2) इति शर्मा पत्नी श्री विकास, पता-E-14, रजनीगंधा एन्क्लेव, गोले का मंदिर, ग्वालियर बाहर हो रही हैं। एवं उक्त भागीदार फर्म में एक भागीदार दिनांक 18-06-2018 से (2) प्रियंका शर्मा पुत्री श्री संजीव शर्मा शामिल हो रहीं हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 18-06-2018 से-

(1) नन्दिनी शर्मा पति श्री संजीव कुमार शर्मा, निवासी हॉस्पिटल रोड, अम्बाह, जिला मुरैना (म.प्र.).

(2) प्रियंका शर्मा पुत्री संजीव शर्मा, निवासी 13-A, रजनीगंधा एन्क्लेव, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

शामिल हो रही हैं। अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 18-06-2018, से संशोधन उपरांत दो साझेदार रहेंगे। उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस 13-A, रजनीगंधा एन्क्लेव, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.) स्थित है।

मैसर्स श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज,
नन्दिनी शर्मा,
(भागीदार).

(17-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स माँ अम्बे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, स्थित 204, साया मेशन, हरीशंकर पुरम, ग्वालियर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00131/11, दिनांक 09-08-2011 है। जिसमें दिनांक 12-11-2018 से भागीदार श्री देवेन्द्र राठौर पुत्र श्री चेताराम राठौर, निवासी गोसपुरा नं. 01, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक हो रहे हैं फर्म में भागीदार श्री वृजेश सिंह भदौरिया अकेले भागीदार होने से भागीदारी भारतीय अधिनियम 1932 के अंतर्गत स्वतः समाप्त हो गई है। सर्वजन एवं आमजन सूचित हों।

फर्म-मैसर्स माँ अम्बे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी,
वृजेश सिंह भदौरिया,
(भागीदार).

(18-बी.)

पता- 204, साया मेशन, हरीशंकर पुरम, ग्वालियर.

जाहिर सूचना

साझेदारी फर्म मेसर्स पलाश प्रोडक्ट्स के नाम परिवर्तन के संबंध में

मेरे पक्षकार मेसर्स पलाश प्रोडक्ट्स साझेदारी फर्म एफ.आर.एन. 03/27/01/0295/19, तर्फे अधीकृत साझेदार श्री विकास गोयल पिता श्री धनश्यामदास गोयल निवासी-333/41, मार्बन मंडी, अग्रवाल वेयरहाउस के सामने नेमावर रोड, पालदा, इन्दौर द्वारा के प्रदत्त जानकारी एवं माहती अनुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी साझेदारी दिनांक 03-10-2013 से मेसर्स पलाश प्रोडक्ट्स के नाम से संचालित की जाकर इसी नाम से अपना व्यवसाय, व्यापार करती आ रही है। वर्तमान में साझेदारों द्वारा आपसी सहमति से अपनी साझेदारी फर्म का नाम मेसर्स पलाश प्रोडक्ट्स के स्थान पर नवीन नाम मेसर्स प्रेमधन प्रोडक्ट्स से अपना व्यवसाय व्यापार दिनांक 03-04-2018 प्रारंभ किया गया है। सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अब हमारे साझेदारी फर्म का नवीन नाम मेसर्स प्रेमधन प्रोडक्ट्स से जाना जायेगा एवं हमारे द्वारा इसी नवीन नाम से अपना व्यवसाय व्यापार संचालित किया जायेगा।

मेसर्स प्रेमधन प्रोडक्ट्स,
NIKITA GOYAL.

(24-बी.)

NOTICE

U/S. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that in the Firm M/S. KWALITY ASSOCIATES, Registered office at 269-270, 1st Floor, M.P. Nagar, Zone 2nd Bhopal M.P. which was constituted vide partnership deed executed on 1st April, 1996 and (After 1st April 2010) the initial partners were Shri Vijay Agarwal S/o Shri K.B.L. Agarwal and Smt. Pramila Agarwal W/o. Shri Vijay Agarwal. In this Firm Subsequently following changes have occurred on 1st April 2016 Miss Avruty Agarwal D/o. Shri Vijay Agarwal joined the Firm as a new partner. Further on 1st February, 2017. Shri Vijay Agarwal died and Miss Isha Agarwal D/o. Shri Vijay Agarwal joined the firm as a new partner in the place of him. Now (1) Smt. Pramila Agarwal, (2) Miss Avruty Agarwal, and (3) Miss Isha Agarwal are the three running partners in the firm.

M/s Kwaliti Associates,
PRAMILA AGRAWAL,
(Partner).

(25-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स शिवा कंस्ट्रक्शन फर्म में 05 मार्च, 2019 से श्री शिवा अग्रवाल को फर्म का भागीदार बनाया गया है।

(26-बी.)

मेसर्स शिवा कंस्ट्रक्शन,
शिवा अग्रवाल,
(भागीदार).

NOTICE**U/S. 72 OF INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932**

Notice is hereby given that in the firm of M/s NATURAL DEVELOPERS registered Office at 1, Thandla Road, Petlawad Dist. Jhabua (M.P.), 457773 a partnership firm vide Registration No. 03/29/03/0147/16/2016-17 dated 23/12/2016 with the Registrar of firms, which was constituted vide partnership deed executed on 20-10-2016 and the initial partners where Abdul Salim Shaikh S/o Shri Dinmohammad ji Shaikh, Govind Mulewa S/o Moti Lal ji Mulewa, Shubhash Chandra Mandot S/o Sh. Champalal ji Mandot, Abhay kumar Chanodiya S/o Sh. Shanti Lal ji Chanodiya, Vinod Kumar Chanodiya S/o Sh. Shanti Lal Chanodiya.

w.e.f. 12/02/2019 the following partners has been retired.

1. Abhay Kumar Chanodiya S/o Sh. Shanti Lal ji Chanodiya.
2. Vinod Kumar Chanodiya S/o Sh. Shanti Lal ji Chanodiya

and the following New Partner taken in the running firm.

1. Suresh Chandra Mutha S/o Sh. Mangi Lal ji Mutha Petlawad vied partnership deed executed on 12/02/2019.

(27-B.)

M/s Natural Developers,
ABDUL SALIM SHAIKH,
(Partner).

PUBLIC NOTICE

Know all men that the Firm M/s JAI SONBHADRA TOLLS, Jabalpur [Reg. No. 04/14/01/00092, Year 2012-13, Dt. 27-06-2012] formed on 06-06-2012 and Amended on 01-04-2014. The firm now 01-01-2019 and 3 partners Mohammed Shahabuddin, Mohammed Afraj and Umesh Prasad Pandey are retiring from firm The constitution of the firm as on 01-01-2019 with 2 partners as Amit (Kumar) Khamparia & Shyam Sunder Khamparia.

That the registered Office of the Firm has been shifted to 232/4, Durga Colony, Sanjeevani Nagar, Garha, Jabalpur and Nil Branch w.e.f. 01.01.2019.

(28-B.)

For-M/s Jai Sonbhadra Tolls,
AMIT (KUMAR) KHAMPARIA,
(Partner).

विविध**आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं**

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी

सिवनी, दिनांक 20 मार्च, 2019

संशोधित आदेश

क्रमांक/1811/व.लि./2019.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 6240/व.लि./2018 सिवनी, दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के तहत

दिनांक 09 अगस्त, 2019 दिन शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था. मध्यप्रदेश शासन सा. प्रशा. भोपाल के पत्र क्र-एफ-3-2/2018/1/4, दिनांक 09 मार्च, 2019 द्वारा उक्त दिवस दिनांक 09 अगस्त, 2019 को सामान्य अवकाश घोषित किया है.

अतः कार्यालयीन आदेश के सरल क्रमांक-2 में अंकित विश्व आदिवासी दिवस 09 अगस्त, 2019 के स्थान पर दिनांक 16 अगस्त, 2019 रक्षाबंधन का दूसरा दिन कजलियां पर्व दिन शुक्रवार को सिवनी जिले में पूर्ण दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है. शेष आदेश यथावत रहेगा.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(235)

प्रवीण सिंह,
कलेक्टर.

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) ग्वालियर-सिटी, जिला ग्वालियर
प्र.क्र.-0001/बी-113(4)/2018-19.

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री सैय्यत आतिफ अली पुत्र श्री लियाकत अली संस्थापन तहाफुज खात्मे नववृत ग्वालियर चम्बल ट्रस्ट, पता-शाही जामा मस्जिद, किला गेट, जिला ग्वालियर द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन "तहाफुज खात्मे नववृत ग्वालियर चम्बल ट्रस्ट मुख्य कार्यालय शाही किलागेट, ग्वालियर" मध्यप्रदेश के नाम से न्यास पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

उक्त आवेदन-पत्र के संबंध में न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है. यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हो तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि के अन्दर मेरे न्यायालय में समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है, निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

(लोक न्यास का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. न्यास का नाम | : | "तहाफुज खात्मे नववृत ग्वालियर चम्बल ट्रस्ट". |
| 2. न्यास का पता | : | शाही जामा मस्जिद किलागेट, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | रुपये 21,000/- |
| 4. अचल सम्पत्ति | : | निरंक |

यह सूचना आज दिनांक 26 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(233)

प्रदीप सिंह तोमर,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास अधिकारी (राजस्व), तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन
प्र.क्र.-01/बी-113/2018-19.

बड़नगर, दिनांक 22 जनवरी, 2019

प्रारूप क्रमांक-4

[नियम-5(2)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1962 के नियम-1962 के नियम-5(1) के द्वारा]

क्र./263/री-1/2019.—लोक न्यास के पंजीयन, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन द्वारा गायत्री ट्रस्ट के वर्तमान कार्यकारी मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी डॉ. राधेश्याम उपाध्याय पिता जगन्नाथ उपाध्याय जाति ब्राम्हण, निवासी 3 व्यास गली बड़नगर द्वारा प्रारूप-4 के ट्रस्ट विधान के अंतर्गत गायत्री परिवार ट्रस्ट, बड़नगर का विधिवत रजिस्ट्रेशन किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

1. डॉ. राधेश्याम उपाध्याय आत्मज जगन्नाथ उपाध्याय, व्यासगली, बड़नगर-मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी.
2. श्री सुभाष गुप्ते पिता श्री पांडुरंग गुप्ते, निवासी मंगलम परिसर, बड़नगर-सहायक प्रबंधक ट्रस्टी.
3. श्री उमा शंकर मेहता पिता वरदमूर्ति मेहता, निवासी रंगारसेरी, छोटा नृसिंह मंदिर, बड़नगर-ट्रस्टी.

4. श्री लाला लोकेन्द्र चांदीवाला पिता मदनलाल चांदीवाला, निवासी बड़नगर-ट्रस्टी.
5. श्री ओमप्रकाश भाटी पिता लक्ष्मीनारायण भाटी, बड़ी हवेली, बड़नगर-ट्रस्टी.
6. श्री विनोद कुमार मकवाना पिता गेंदालाल मकवाना, संगम चौराहा, डायवर्शन रोड, बड़नगर-ट्रस्टी.
7. श्री गिरधारीलाल त्रिवेदी पिता गोवर्धनलाल त्रिवेदी, निवासी रंगारसेरी, बड़नगर-ट्रस्टी.
8. श्रीमती किरण सोनी पति कुंजबिहारी सोनी, निवासी डाबरी चौक, बड़नगर-ट्रस्टी.
9. श्रीमती रेखा राठौड पति राजेन्द्र राठौड, निवासी शिक्षक कॉलोनी, बड़नगर-ट्रस्टी.

अनुसूची

- | | | |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | गायत्री परिवार ट्रस्ट, तहसील बड़नगर. |
| 2. पता | : | तहसील बड़नगर. |

उक्त कार्यवाही के संबंध में किसी भी व्यक्ति/संस्था को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो मेरे समक्ष राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिन के भीतर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। बाद्मियाद प्राप्त आपत्ति पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

एकता जायसवाल,

अनुविभागीय अधिकारी.

(234)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, बिचौली हप्पी क्षेत्र, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदकगण ट्रस्टी श्री पुनित पिता श्री रमेश माधवानी, पता-20, सम्पत बिहार भिचौली मर्दाना, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा "इन्दौर इन्डुमिनिटी राउण्ड टेबल ट्रस्ट" कार्यालय पता 20, सम्पत बिहार भिचौली मर्दाना इन्दौर मध्यप्रदेश का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तियार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

- | | | |
|---------------|---|---|
| ट्रस्ट का नाम | : | "इन्दौर इन्डुमिनिटी राउण्ड टेबल ट्रस्ट". |
| पता | : | कार्यालय पता-20, सम्पत बिहार भिचौली मर्दाना, इन्दौर. |
| चल संपत्ति | : | न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 11,000/- है.
(अक्षर में ग्यारह हजार मात्र). |
| अचल संपत्ति | : | निरंक. |

आज दिनांक 27 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

(211)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक लायंस क्लब इन्टरनेशनल डि. 3233 जीवन चेरिटेबल ट्रस्ट, पता 10, ज्ञान्सपार्क, टेलिफोन नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश तर्फे अध्यक्ष लायन परविन्दर सिंह भाटिया द्वारा लायंस क्लब इन्टरनेशनल डि. 3233 जीवन चेरिटेबल ट्रस्ट का पब्लिक एक्ट की धारा-4(2) के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल संपत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	“लायंस क्लब इन्टरनेशनल डि. 3233 जीवन चेरिटेबल ट्रस्ट”.
पता	:	10, ज्ञानसपार्क, टेलिफोन नगर, इन्दौर.
चल संपत्ति	:	न्यास की चल सम्पत्ति रुपये 11,000/- है. (अक्षर में ग्यारह हजार मात्र).
अचल संपत्ति	:	निरंक.

आज दिनांक 13 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

राकेश शर्मा,
पंजीयक.

(212)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, आगर, जिला आगर-मालवा

रा.प्र.क्र.03/बी-113/2018-19.

आगर, दिनांक 12 मार्च, 2019

प्रारूप क्र. 4

[देखें नियम-5(1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5(2) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक आगर, जिला आगर-मालवा के समक्ष.

आवेदक श्रीमती ममता पति अश्विनी बिरथरे वार्ड नं. 09 मकान नं. 142 पण्ड्या गली आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में इथोर्स एजुकेशन ट्रस्ट, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.) में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 09 अप्रैल, 2019 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखे हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम	:	इथोर्स एजुकेशन ट्रस्ट, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा (म.प्र.)
चल सम्पत्ति	:	अनुमानित मूल्य रुपये निरंक.

महेन्द्रसिंह कवचे,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(213)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बालाघाट

रा.प्र.क्र. बी/113/2018-19.

बालाघाट, दिनांक 25 फरवरी, 2019

ग्राम बालाघाट प.ह.नं. 13/2

क्र. 34/प्रस्तुत.1/2019.—यह कि सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यासकर्ता अध्यक्ष श्री हरिशचन्द्र ठाकूर पिता श्री गोविन्द ठाकूर,

निवासी वार्ड नं. 25 प्रेमनगर, बालाघाट द्वारा सार्वजनिक “गायत्री परिवार ट्रस्ट” प्रेमनगर, तहसील व जिला बालाघाट का पंजीयन किये जाने हेतु लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951-30 की धारा-4) के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन-पत्र किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है. कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 27 मार्च, 2019 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास की सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवशान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

ग्राम का नाम प.ह.नं.	चल/अचल सम्पत्ति	विवरण
13/2	बैंक-3000/-	श्री हरिशचन्द्र ठाकूर पिता श्री गोविन्द ठाकूर, निवासी वार्ड नं. 25 प्रेमनगर बालाघाट.

(214) **के. सी. बोपचे,**
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं लोक न्यास पंजीयक सागर, जिला सागर

रा.प्र.क. 0020वी/113 वर्ष 2018-19.

मौजा-इतवारी वार्ड सागर

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक हेमन्त गोदरे एडव्होकेट पिता गुलाबचंद गोदरे, निवासी गोदरे वाडा, इतवारी वार्ड, सागर द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर “ श्री 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन गोदरे मंदिर, गोदरे वाडा इतवारी वार्ड सागर” के नाम से पंजीयन हेतु निवेदन किया है:-

लोक न्यास का नाम	:	श्री 1008 आदिनाथ दिगम्बर जैन गोदरे मंदिर, गोदरे वाडा इतवारी वार्ड सागर.
पता	:	गोदरे वाडा इतवारी वार्ड सागर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.).
चल सम्पत्ति	:	संलग्न सूची अनुसार.
अचल सम्पत्ति	:	मौजा गोदरे वाडा इतवारी वार्ड सागर में स्थित खसरा नम्बर नगर निगम मे स्थित गृह संख्या 261 भूमि एवं अन्य अचल सम्पत्ति सूची अनुसार.
ट्रस्ट का उद्देश्य	:	चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था, देव प्रतिमाओं की देखभाल.

अतः उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 15-04-2019 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है बाद गुजरने म्यांद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा.

आज दिनांक 18 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

पेशी दिनांक 15-04-2019.

जारी दिनांक 18-03-2019.

(174)

रा.प्र.क. 0021वी/113 वर्ष 2018-19.

मौजा-बम्होरी बीका.

एतद्द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सौरभ सिंघई पिता महेन्द्र कुमार जैन, निवासी महर्षि दयानंद वार्ड, सागर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर “ श्री 1008 चिंतामणी पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर” के नाम से मौजा बम्होरी बीका समयसार पेट्रोलपंप के पास, नरसिंहपुर रोड, एन.एच. 26 पर पंजीयन हेतु निवेदन किया है:-

लोक न्यास का नाम	:	श्री 1008 चिंतामणी पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर.
पता	:	समयसार पेट्रोलपंप के पास, नरसिंहपुर रोड, एन.एच. 26, बम्होरी बीका, तहसील व जिला सागर मध्यप्रदेश.
चल सम्पत्ति	:	संलग्न सूची अनुसार.
अचल सम्पत्ति	:	मौजा बम्होरी बीका मे स्थित खसरा नम्बर 279/1 रकवा 0.60 हे. भूमि.
ट्रस्ट का उद्देश्य	:	चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था, सर्वसाधारण में जैन धर्म के प्रति रूचि व अस्था बनाना.

अतः उपरोक्त ट्रस्ट रजिस्टर्ड किये जाने में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति अथवा उजर हो तो वह पेशी दिनांक 15 अप्रैल, 2019 को इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पेश कर सकता है बाद गुजरने म्याद के किसी भी प्रकार की आपत्ति अथवा उजर पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 18 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

पेशी दिनांक 15-04-2019.

जारी दिनांक 18-03-2019.

(175)

संतोष चन्देल,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 12 फरवरी, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रबंधक

कल्पना इन्डस्ट्रीज कर्मचारी साख

सहकारी संस्था मर्यादित, देवास.

क्र./परि./2019/182.—कल्पना इन्डस्ट्रीज कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 597, दिनांक 24 नवम्बर, 1986 है. संस्था अध्यक्ष का पत्र दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 अनुसार संस्था का लेनदेन बंद बताया गया है. संस्था द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है एवं कम्पनी भी बंद हो चुकी है. संस्था सदस्यों द्वारा संस्था को चलाने में कोई रुचि नहीं रखते हैं. जिससे यह स्पष्ट होता है. कि संस्था अकार्यशील है. संस्था अपनी उपविधि के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है. जिस प्रयोग के लिये संस्था का पंजीयन किया गया था उनकी पूर्ति नहीं की जा रही है परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) (क) एवं 69(2) (ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाये. इस संबंध में यदि कुछ कहना हो तो या प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हो तो दिनांक 13 मार्च, 2019 कार्यालयीन समय में मय रिकार्ड के साथ स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें. अन्यथा की स्थिति में यह माना जावेगा की आपको कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में कुछ नहीं कहना है. संस्था को परिसमापन में लाने की विधि अनुसार कार्यवाही की जावेगी.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 12 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है.

(215)

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सागर

सागर, दिनांक 01 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/491.—सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सोसायटी मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 118, दिनांक 29 जून, 1999 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/921, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड शाहगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 12 फरवरी, 2019 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, पी. आर. कावडकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2016/921, दिनांक 16 मार्च, 2016 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए सहकारी विपणन एवं प्रक्रिया सोसायटी मर्या., शाहगढ़, विकासखण्ड शाहगढ़, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 118, दिनांक 29 जून, 1999 को संस्था की आभसभा की कार्यवाही एवं निर्वाचन की तैयारी को दृष्टिगत रखते हुये इस शर्त के साथ कि सोसायटी पुनर्जीवन के एक माह के अन्दर निर्वाचन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्री श्रीराम यादव/श्री राजदयाल यादव	अध्यक्ष
2.	श्री बाबूलाल विश्वकर्मा/श्रीरामदीन विश्वकर्मा	उपाध्यक्ष
3.	श्री नारायण खान/श्री भूरे खान	सदस्य
4.	श्री धनप्रसाद विश्वकर्मा/श्री चिन्खे विश्वकर्मा	सदस्य
5.	श्री ललवा अहिरवार/श्री चेना अहिरवार	सदस्य
6.	श्री बलीराम आदिवासी/श्री मनुआ आदिवासी	सदस्य
7.	श्रीमती हरबाई आदिवासी/बलराम आदिवासी	सदस्य
8.	श्रीमती नंजीबाई वंसल/श्री गबूला वंसल	सदस्य
9.	श्रीमती नंजीबाई रैकवार/श्री सरला रैकवार	सदस्य
10.	श्री हरीराम यादव/श्री भुलुआ यादव	सदस्य
11.	श्री बाबूलाल यादव/श्री बिहारी यादव	सदस्य

साथ ही निर्देश दिया जाता है कि संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे. यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(216)

सागर, दिनांक 01 मार्च, 2019

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/492.—ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., पटकुई, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 645, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 को कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2017/2201, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर श्री एम. एल. कोरी, सहकारी निरीक्षक सागर को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. संस्था के सदस्यों की मांग एवं संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 02 जुलाई, 2018 में संस्था को पुनर्जीवित करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया. परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया. पारित प्रस्ताव एवं परिसमापक की अनुशंसा के आधार पर संस्था व उसके सदस्यों के हित में संस्था को पुनर्जीवित किया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, पी. आर. कावडकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश क्र./परिसमापन/2017/2201, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के द्वारा जारी परिसमापन आदेश निरस्त करते हुए सहकारी ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., पटकुई, विकासखण्ड सागर, जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्र. 645, दिनांक 27 सितम्बर, 1996 को संस्था की आभसभा की कार्यवाही एवं निर्वाचन की तैयारी को दृष्टिगत रखते हुये इस शर्त के साथ कि सोसायटी पुनर्जीवन के एक माह के अन्दर निर्वाचन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी, पुनर्जीवित करता हूँ. साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार सदस्यों की अस्थायी कमेटी का गठन तीन माह के लिये करता हूँ:-

क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पदनाम
1.	श्री राजेश बाजपेयी/श्री जगतनारायण	अध्यक्ष
2.	श्री भानू श्रीवास/श्री रामकुमार श्रीवास	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमती लता/श्री रूपकुमार	सदस्य
4.	श्रीमती लक्ष्मी तोमर/श्री देवेन्द्र तोमर	सदस्य
5.	श्री चन्द्र मोहन/श्री लोकमन	सदस्य

क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पदनाम
6.	श्री रूप कुमार/श्री बाबूलाल	सदस्य
7.	श्री रिकेश श्रीवास/श्री मुकेश श्रीवास	सदस्य
8.	श्री नीलेश/राजेश कुमार मिश्रा	सदस्य
9.	श्री अशोक श्रीवास/श्री गोरेलाल	सदस्य
10.	श्री सुदीप श्रीवास/श्री मूलचंद	सदस्य
11.	श्री अमित राठौर/श्री लक्ष्मीनारायण	सदस्य

साथ ही निर्देश दिया जाता है कि संस्था का निर्वाचन 03 माह के अंदर करवाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे। यह आदेश आज दिनांक 01 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

पी. आर. कावड़कर,
उप-पंजीयक.

(217)

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 05 मार्च, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

भीलटदेव श्रमिक रेत खनन सहकारी समिति मर्या., सुखतवा.

क्र./परि./2019/411.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/निर्वाचन-1/5502, भोपाल, दिनांक 31 मई, 2017 से श्री एस. के. पाठक, वरि. सहकारी निरीक्षक को भीलटदेव श्रमिक रेत खनन सहकारी समिति मर्या., सुखतवा के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने हेतु स्वप्रेरणा अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है। रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री पाठक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है। इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जावे। इससे यह स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है।
2. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है।

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के प्रशासक/आमसभा की बैठक में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयार्थ में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तवित कार्यवाही से सहमत है संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(218)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मार्च, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

श्री कृष्ण प्राथमिक साख सहकारी समिति मर्या., शिवपुर.

क्र./परि./2019/412.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी

भोपाल के आदेश क्रमांक/निर्वाचन-1/5378, भोपाल, दिनांक 26 मई, 2016 से श्री एस. के. पाठक, वरि. सहकारी निरीक्षक को श्री कृष्ण प्राथमिक साख सहकारी समिति मर्या., शिवपुर के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने हेतु स्वप्रेरणा अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री पाठक द्वारा अवगत कराया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
2. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के प्रशासक/आमसभा की बैठक में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तवित कार्यवाही से सहमत है संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(219)

होशंगाबाद, दिनांक 05 मार्च, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,
माँ नर्मदा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी
भण्डार मर्या., होशंगाबाद.

क्र./परि./2019/413.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/निर्वाचन-1/5502, भोपाल, दिनांक 31 मई, 2017 से श्री एस. के. पाठक, वरि. सहकारी निरीक्षक को माँ नर्मदा महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., होशंगाबाद के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने हेतु स्वप्रेरणा अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया है. संस्था के प्रशासक श्री एस. के. गुप्ता द्वारा अवगत कराया गया है कि उन्हे संस्था के रिकार्ड/अभिलेख प्राप्त नहीं हुए है. अतः रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री पाठक को संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है. इसलिये संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था द्वारा प्रशासक को रिकार्ड/अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा रहे है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्था ने सहकारी अधिनियम, नियम एवं संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णतः अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रिय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं है. अतः क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा-69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएँ, होशंगाबाद यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के प्रशासक/आमसभा की बैठक में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तवित कार्यवाही से सहमत है संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 मार्च, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. परते,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(220)

कार्यालय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणगांव तह. कसरावद, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1659, दिनांक 11 जुलाई, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है. संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा / संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(223)

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लेपा तह. कसरावद, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1944, दिनांक 14 मार्च, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है. संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा / संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं. का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(224)

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., शकरगांव तह. भिकनगांव, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1999, दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
6. संस्था द्वारा साधारण सभा / संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।
7. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं। का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(225)

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घेगांव तह. खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1570, दिनांक 18 मई, 2009 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
6. संस्था द्वारा साधारण सभा / संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।
7. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना

क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है। का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(226)

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आसनगांव, तह. खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1516, दिनांक 16 मई, 2009 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
6. संस्था द्वारा साधारण सभा / संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।
7. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है। का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयवाधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(227)

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़िया, तह. भिकनगांव, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 2014, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
6. संस्था द्वारा साधारण सभा / संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।

7. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(228)

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़गांव, तह. भिकनगांव, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 2015, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
6. संस्था द्वारा साधारण सभा / संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।
7. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(229)

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणगवं, तह. खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1570, दिनांक 18 मई, 2009 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।

5. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
6. संस्था द्वारा साधारण सभा / संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।
7. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है। का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(230)

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गवला, तह. कसरावद, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1635, दिनांक 29 मार्च, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है।
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है।
6. संस्था द्वारा साधारण सभा / संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं।
7. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है।

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है। का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये।

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है। तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं। प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी।

(231)

खरगोन, दिनांक 25 फरवरी, 2019

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., करोंदिया, तह. कसरावद, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1636, दिनांक 01 मार्च, 2012 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है। संस्था को निम्न कारणों से धारा 69(1), (2) उपधारा अनुसार परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है:-

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है।
2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हितों के प्रति उपेक्षावान है।

3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था का संचालक मंडल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
5. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा / संचालक मण्डल की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.
7. संस्था अपने पंजीकृत पते पर नहीं है.

अतः मैं, राजेश क्षत्री, उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला खरगोन मध्यप्रदेश शासन सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1), (2) ए/क, बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त हैं. का प्रयोग करते हुये यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाये.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त संबंध में कुछ नहीं कहना है. तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं. प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

राजेश क्षत्री,

उप-पंजीयक.

(232)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाओं छतरपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजी. क्र./दि.	आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	हरिजन ईट उद्योग सह. समिति मर्या., पठारीकला	1040/18-03-04	878/28-03-18
2.	शिवशंकर फल-फूल बीज उत्पा. विपणन सह. समिति मर्या., सैरोरा.	1116/09-08-07	878/28-03-18
3.	नागरिक सहकारी समिति मर्या., बक्स्वाहा	1063/23-03-05	878/28-03-18
4.	मोहनी महिला बहु. सह. स. मर्या., निमानी	1130/25-10-07	878/28-03-18
5.	महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., जखरोनखुर्द	1136/17-01-08	878/28-03-18
6.	आदर्श साग-सब्जी बीज उत्पा. एवं विप. प्र. सह. स. मर्या., बडामलहरा	918/27-02-12	878/28-03-18
7.	नागरिक स्वायत्त सहकारिता मर्या., घुवारा	06/06-03-04	878/28-03-18
8.	लोकेन्द्र विपणन सहकारी समिति मर्या., बक्स्वाहा	961/17-07-03	878/28-03-18
9.	जटाशंकर तेल उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिजावर	36/06-09-60	878/28-03-18
10.	काष्टकला उद्योग सहकारी समिति मर्या., बडामलहरा	669/11-04-08	878/28-03-18
11.	टोकनी निर्माण उद्योग सहकारी समिति मर्या., बिजावर	06/09-03-59	878/28-03-18
12.	ईट उद्योग सहकारी समिति मर्या., बडामलहरा	864/04-03-94	878/28-03-18
13.	हड्डी, चमड़ा श्रमठेका उद्योग सहकारी समिति मर्या. बिजावर	1091/04-04-06	878/28-03-18
14.	जनजागृति प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या. बिजावर	1256/30-07-10	878/28-03-18
15.	गायत्री प्राथ. उप. सह. भ. मर्या., सटई	1181/04-08-08	878/28-03-18

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम-57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उनका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 15 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

पी. के. खरे,

परिसमापक/सहकारी निरीक्षक.

(221)

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला छतरपुर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (1) (सी/ग) के अंतर्गत]

डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थायें छतरपुर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	समिति का नाम	पंजी. क्र./दि.	आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	शासकीय न्यायालयीन केन्टीन साख सह. समिति मर्या., छतरपुर	471/08-12-83	871/28-03-18
2.	जय गुरुदेव साख सहकारी समिति मर्या., छतरपुर	1057/18-10-04	871/28-03-18
3.	रविन्द्रनाथ टैगोर साख सहकारी समिति मर्या., छतरपुर	1059/18-10-04	871/28-03-18
4.	गणपति साख सहकारी समिति मर्या., छतरपुर	1060/18-10-04	871/28-03-18
5.	उद्योग संयंत्र निर्माण सह. समिति मर्या., छतरपुर	791/21-06-96	871/28-03-18
6.	हरिजन लोकनिर्माण श्रमठेका सहकारी समिति मर्या., छतरपुर	651/26-11-91	871/28-03-18
7.	रघुनाथ सिंह परिहार सह. प्रिंटिंग प्रेस छतरपुर	897/05-10-01	871/28-03-18
8.	बुन्देलखण्ड महिला ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., छतरपुर	888/23-02-01	871/28-03-18
9.	बुन्देलखण्ड परिवहन उद्योग सह. समिति मर्या., छतरपुर	1205/01-10-08	871/28-03-18
10.	विध्यवासनीय परिवहन उद्योग सह. समिति मर्या., छतरपुर	1212/13-10-08	871/28-03-18
11.	श्रद्धा नागरिक सह. समिति मर्या., छतरपुर	1133/01-01-08	871/28-03-18
12.	पदमावति नागरिक सह. स. मर्या. छतरपुर	1166/05-07-08	871/28-03-18
13.	हिन्दुस्तानी नागरिक सह. स. मर्या., छतरपुर	1150/06-06-08	871/28-03-18
14.	जटाशंकर नागरिक सह. स. मर्या., महेवा	1171/16-07-08	871/28-03-18
15.	कृष्णा नागरिक सहकारी स. मर्या., बगौता	1170/16-07-08	871/28-03-18
16.	पत्रकार गृहनिर्माण सह.स. मर्या., छतरपुर	955/17-01-03	871/28-03-18
17.	टिम्बर व्यवसाय सह. समिति मर्या., छतरपुर	763/10-03-95	871/28-03-18
18.	छत्रशाल बीज उत्पा. प्रक्रि. एवं विप. सह. समिति मर्या., गंज	1254/02-07-10	871/28-03-18

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1962 के नियम-57(1) (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय-प्रमाण के मुझे लिखित रूप में प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में सदस्यगण/साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उनका दावा मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किए गये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 15 फरवरी, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(222)

राजीव सक्सेना,
परिसमापक/सहकारी निरीक्षक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 अप्रैल 2019-चैत्र 15 शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018

1. **मौसम एवं वर्षा.**—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य के किसी भी जिले में वर्षा का होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
2. **जुताई** :- जिला भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, अशोकनगर, पन्ना, दमोह, सतना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरोली, मन्दसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, धार, बड़वानी, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा तथा सिवनी में जुताई कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
3. **बोनी**:- जिला दतिया, पन्ना, रीवा, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरोली, मन्दसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, बड़वानी, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिण्डोरी तथा छिन्दवाड़ा में बोनी कार्य चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
4. **फसल स्थिति** :-राज्य के प्रायः सभी जिलों में फसल स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
5. **कटाई** :- जिला खरगौन, जबलपुर, डिण्डोरी तथा छिन्दवाड़ा में खरीफ फसल की कटाई चालू रहना प्रतिवेदित किया गया है.
6. **सिंचाई** :-जिला रीवा, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, शाजापुर, बड़वानी, विदिशा, भोपाल, बैतूल तथा बालाघाट में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में तथा राज्य के शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
7. **पशुओं की स्थिति**:-राज्य के सभी जिलों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
8. **चारा** :- राज्य में प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
9. **बीज**:- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
10. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त मात्रा तथा उचित रेट पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2018

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि.मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .				
2. पोरसा	. .				
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. कैलारस	. .				
6. सबलगढ़	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) गन्ना, कपास समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .				
2. कराहल	. .				
3. विजयपुर	. .				
4. वीरपुर	. .				
5. बडोदा	. .				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	. .				
2. भिण्ड	. .				
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. रौन+मिहोना	. .				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .				
2. डबरा	. .				
3. भितरवार	. .				
4. चीनोर	. .				
5. घाटीगांव	. .				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) गन्ना समान. (2) गन्ना समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	. .				
2. दतिया	. .				
3. इन्द्रगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. *जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. शिवपुरी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पिछोर	..		(2) ..		
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बैराढ़	..				
9. बदरवास	..				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	..		4. (1) गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. नई सराय	..				
6. पिपरई	..				
7. शाढौरा	..				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. मकसूदनगढ़	..				
7. कुम्भराज	..				
9. *जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. खरगापुर	..				
8. मोहनगढ़	..				
9. लिधौरा	..				
10. ओरछा	..				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ा मलहरा	..				
8. लवकुशनगर	..				
9. बक्सवाहा	..				
10. महाराजपुर	..				
11. चंदला	..				
12. धुवारा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	..				
2. पन्ना	..				
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
6. देवेन्द्रनगर	..				
7. अमानगंज	..				
8. सिमरिया	..				
9. रैपुरा	..				
12. *जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. बीना	..				
2. खुरई	..				
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. कंसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				
12. जैसीनगर	..				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. .. 4.(1) तुअर समान. (2) तुअर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर समान. (2) तुअर समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. कोठर	..				
10. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर कम. (2) तुअर समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. मनगवां	..				
8. सेमरिया	..				
9. जवा	..				
10. नईगढ़ी	..				
11. रायपुरकचुलियान	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई चालू बोनी चालू	3. . . 4. (1) तुअर अधिक. (2) तुअर सुधरी हुई है.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जयसिंहनगर	..				
4. बुढ़ार	..				
5. गोहपारू	..				
6. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) राई-सरसों, मसूर, चना अधिक. अलसी कम. (2) मसूर सुधरी. शेष फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. चंदिआ	..				
4. नौरोजाबाद	..				
5. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिंहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. बहरी	..				
7. रामपुरनैकिन	..				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. बोनी कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सरई	..				
4. माडा	..				
5. सिंगरौली	..				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मंदसौर+दलोदा	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुंधड़क्का	..				
10. संजीत	..				
11. कयामपुर	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. जिला नीमच :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4.(1) मूँगफली, मटर, गेहूँ, चना, मटर अधिक. तुअर, सरसों, मसूर, अलसी कम. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. सिंगौली	..				
4. जीरन	..				
5. रामपुर	..				
6. मनासा	..				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2 जुताई व बोनी चालू	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. ताल	..				
6. रावटी	..				
7. पिपलोदा	..				
8. रतलाम	..				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2 जुताई व बोनी चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2 जुताई व बोनी कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर अधिक. (2) तुअर समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मोमनबड़ौदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. पोलाय कलां	..				
6. अबंतीपुर बड़ौदिया	..				
7. गुलाना	..				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2 ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..				
2. टोंकखुर्द	..				
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नोद	..				
6. हाटपिपल्या	..				
7. सतवास	..				
8. उदयनगर	..				
9. खातेगांव	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. *जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. थान्दला	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. मेघनगर	..		(2) ..		
3. पेटलावद	..				
4. रामा	..				
5. झाबुआ	..				
6. राणापुर	..				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोंडवा	..				
5. उदयगढ़	..				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	..				
7. भामरा	..				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. जुताई चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. गौतमपुरा	..				
5. हातोद	..				
6. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकर नगर)					
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. कटाई चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) धान, मक्का, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		कपास, तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		ज्वार कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. सनावद	..				
10. झिरन्या	..				
33. जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	..		(2) गन्ना, कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. अंजड	..				
8. बरला	..				
9. निवाली	..				
10. चाचरियी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खालवा	..				
4. पंधाना	..				
5. हरसूद	..				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई हैं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. खिलचीपुर	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचौर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासोदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. समसाबाद	..				
9. त्योंदा	..				
10. पठारी	..				
11. ग्यारसपुर	..				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बैरागढ़	..				
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई व बोनी चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) ज्वार, गन्ना समान. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. इच्छावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. रेहटी	..				
6. श्यामपुर	..				
7. जावर	..				
8. बुधनी	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	. .		4. (1) धान, तुअर समान. गन्ना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	. .				
41. जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैतूल	. .		4. (1) धान अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भैंसदेही	. .		(2) धान सुधरी हुई		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुल्ताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42.*जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. होशंगाबाद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिवनी-मालवा	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. बनखेड़ी	. .				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढी	. .				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. सिराली	. .				
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	. .				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य व बोनी कार्य चालू है. कटाई चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	. .		4. (1) धान अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	. .		(2) धान सुधरी, तुअर बिगड़ी हुई हैं.		
3. सीहोरा	. .				
4. पाटन	. .				
5. मझौली	. .				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) धान कम. मक्का, तिल, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) धान, मक्का समान. तिल, तुअर सुधरी हुई.		
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

